न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/10/2021 प्रार्थना पत्र दायर दिनांक 13.07.2021

उनवान

1. मांगीलाल पिता चुन्ना जाति चमार आयु वयस्क, निवासी मोतीखेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
2. मोहनलाल पिता चुन्ना जाति चमार आयु वयस्क, निवासी मोतीखेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
3. शंकरलाल पिता चुन्ना जाति चमार आयु वयस्क, निवासी मोतीखेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
4. गोपीलाल पिता टोडू जाति चमार आयु वयस्क, निवासी मोतीखेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
5. भैरूलाल पिता टोडू जाति चमार आयु वयस्क, निवासी मोतीखेडा, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता हेमराज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
2. राधीबाई पत्नी श्यामलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
3. रामेश्वरलाल पिता हेमराज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
4. बाली पुत्री हेमराज पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, हाल मुकाम धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. दिनेश पुत्र हेमराज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
6. चन्दाबाई पुत्री हेमराज पत्नि शंकरलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, हाल निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
7. कान्ता पुत्री हेमराज पत्नि गोपीलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, हाल निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
8. सन्तोषबाई पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
9. गुड्डी पुत्री मदनलाल पत्नि मिठूलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, हाल पावली तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
10. गोटीया पिता कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
11. चुन्नीबाई पत्नी मदनलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
12. रतनीबाई पत्नी कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
13. कन्हैयालाल पिता कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, नाबालिग बविलायत माता रतनीबाई पत्नी कैलाशचन्द्र ब्राहम्ण निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
14. शिवानी पिता कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क, नाबालिग बविलायत माता रतनीबाई पत्नी कैलाशचन्द्र ब्राहम्ण निवासी तुर्कियाखुर्द, तहसील कपासन, जिला चित्तौडगढ।
15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़।
16. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन

——अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री डालचन्द जाट —प्रार्थीगण
एकतरफा —अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:25:00 IST
Reason: SelfAttested

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) :—

निर्णय दिनांकः 02.08.2022

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे स्थित है, उक्त आराजीयात मे पहुंचने का रास्ता अप्रार्थीगण सं0 1 से लगायत 14 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में होकर अपनी कृषि भूमि मे सदैव से आते जाते है । और मात्र एक ही कदीमाना रास्ता है जिसका करीब 100 वर्षों से भी अधिक समय से करते चले आ रहे है । उक्त रास्ता आ0 नं0 372 ग्राम मोतीखेडा से शुरू होकर आगे ग्राम गौराजी का निम्बाहेडा वाले रास्ते मे मिलता है। उक्त रास्ते पर अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 370 रकबा 1.63 हैक्टर, आराजी नं. 371 रकबा 0.07 हैक्टर उक्त दोनो आराजीयात की दक्षिणी वाली मेड़ पर पूर्व से प्रवेश कर दक्षिण की तरफ अपनी आराजी सं. 366 रकबा 0.42 हैक्टर में प्रवेश करते है उक्त रास्ता उत्तर से दक्षिण 12 फीट चौडा होकर समान चौडाई से अप्रार्थीगण की दक्षिणी पाली पर चलता हुआ अप्रार्थीगण की आराजीयात मे करता है जो प्रार्थीगण का एक मात्र रास्ता है जिसका सदैव से उपयोग करते आ रहे है उक्त रास्ते पर प्रार्थीगण आते जाते है टैक्टर, ट्रॉली. बैलगाडी खाली—भरी लाते ले जाते है, मवेशी लाते ले जाते है । जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने बाप दादाओ के समय से ही करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शे मे ए—बी—सी—डी से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता विवादीत होकर अभी अप्रार्थीगण नही निकलने दे रहे है।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जमीन ग्राम मोतीखेडा पटवार हल्का हिगोरिया में स्थित है प्रार्थीगण की आ0सं0—366 रकबा 0.42 हैक्टर व अप्रार्थीगण की आ0स0—370 रकबा 1.63 हैक्टर व आ0स0— 371 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.70 हैक्टर स्थित है । जिसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस व नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ सलंग्न है।

यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की जमीन जो अभी अप्रार्थी सं0 1 श्यामलाल के हिस्से मे आकर उसी के कब्जे मे है जिस पर प्रार्थीगण आते जाते है अन्य अप्रार्थीगण को सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाये गये है। उक्त रास्ते की आराजीयात अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में स्थित होकर ग्राम मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया भू—अभिलेख सिहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ मे स्थित है। उक्त आराजीयात पर होकर प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये गये ए टु बी, सी टु डी विवादीत रास्ते पर होकर अपनी आराजीयात में पहुंचते है। व अप्रार्थीगण श्यामलाल व इसके सभी परिवार के सदस्य लडाई झगडा करते है व सहखातेदार भी सहयोग करते है। लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है और रास्ते मे रूकावट पैदा करते है अभी तारबन्दी कर दी है जिसे मौके से हटाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात पर हम प्रार्थीगण दिनांक 20.11.2020 को फसल लाने के लिये व आराजीयात की हंकाई जताई व बुवाई करने के लिये जाने लगे तो अप्रार्थीगणो ने रास्ते मे तारबन्दी कर दी और नहीं जाने दिया। प्रार्थीगण का मुख्य आजिविका का आधार कृषि ही है। खेतो की बुताई जुताई नही करेगे तो भूखे मर जावेगे अपारक्षति होगी जिसे रूपयो मे भी आंका नही जा सकेगा।

यह कि अप्रार्थीगण की आराजीयात मे होकर प्रार्थीगण को मार्ग खुलवाने का अधिकार है। जो रास्ता वर्तमान मे 12 फिट चौडा होकर 200 फिट के करीब लम्बा है। जो उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे होने से प्रार्थीगण को आने जाने नहीं देते है लडाई झगडा करते है। और दिनांक 20—11—2020 को भी लडाई झगडा विवाद किया इस कारण अप्रार्थीगण की जमीन मे उक्त रास्ता किश्म रास्ता रेकार्ड मे दर्ज करना आवश्यक है। उक्त जमीन रास्ते मे समाविष्ट अवाप्त की हुई समझी जावेगी। व रेवेन्यू रेकार्ड मे भी रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना आवश्यक है उक्त जमीन का प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे ही उपयोग करेगे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग मे आने का अंकन करने पर जो भी प्रति[illegible] न्यायालय तय करेगा व प्रतिकर राशि प्रार्थीगण न्यायालय आप द्वारा प्रतिकर के सन्दा[illegible] विहित रिति से न्यायालय द्वारा प्रतिकर अवधारीत किया जावेगा वो जमा [illegible] उक्त भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व रेकार्ड मे रास्ते का उपयोग उप[illegible] से प्रार्थीगण को परेशानी उठानी पड़ रही है जो दिनांक 20.11.2020 से उठानी पड़ रही[illegible] तभी से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर रास्ता अंकन होने के बाद परेशानी नही होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:25:00 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रकरण मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे है व सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। क्योकि अप्रार्थीगण ने तारबन्दी कर रास्ता बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी जिसे आंका भी नही जा सकेगा। इस कारण अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे तो रास्ते के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा नही आयेगी। अवरोध कर दिया जावे तो अविलम्ब हटाया जावे।

यह कि अप्रार्थी राजस्थान सरकार एवं भूमिधारी जी तहसीलदार के खिलाफ प्रार्थीया ने कोई अनुतोष नही चाहा है परन्तु रेवेन्यू रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जाना है इस कारण से सूचनार्थ व रेवेन्यू रेकार्ड को मेन्टेन करने की नियत से उक्त विवाद की सूचना देने की नियत से उन्हे पक्षकार प्रकरण बनाया गया है । व दायरी ईजाजत हेतू अलग से धारा– 80 (2) जा0दी0 का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

अन्तः में प्रार्थना की है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र मे वर्णित अनुसार विवादीत रास्ते से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि को रास्ते के उपयोग–उपभोग मे लेने से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को नही रोके, अवरोध पैदा नही करे जो तारबन्दी कर दी उसे आदेशात्मक आज्ञा से हटाया जावे व अप्रार्थीगण की उक्त प्रार्थनापत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे 12 फिट चौडा व करीब 200 फिट लम्बा जो नजरी नक्शा मे ए–बी–सी–डी तक दर्शाया गया है इस भूमि का जो भी प्रतिकर न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण संदाय करने को तैयार है एवं उक्त रास्ते को जो अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी मे है उसे रेवेन्यू रेकार्ड मे जमाबन्दी में रास्ता दर्ज फरमाया जावे का आदेश रेवेन्यू कर्मचारीयो को आदेशित करा रास्ता रेवेन्यू रेकार्ड मे दर्ज कराये जाने की कृपा करावे । प्रार्थीगण को हर्जा खर्चा, वकील मेहनताना दिलाया जावे व अन्य उचित राहत प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से पाने के हकदार हो दिलाई जावे।

हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। व बिन्दुवार मौका रिपोर्ट बाबत् तहसीलदार कपासन को मौका कमिश्नर नियुक्त किया। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 9 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 05.07.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। शेष की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल जाट व शेष अप्रार्थीगण लगातार तीन पेशी तक हाजिर नहीं आने से दिनांक 02.08.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के खातेदार भूमि में आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से पास की आराजी में न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम करा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार कपासन से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमांबदी)
   प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आ0न0 पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।
   तहसीलदार कपासन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है। इसमें आराजी नं0 370 एवं 371 में से ज... हेतु कृषि भूमि का क्षय होगा जिसमें आ0नं0 371 में से 0.0064 है0 370 में से 0.0368 है0 कुल 0.0432 है0 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.03 14:25:00 IST
Reason: SelfAttested

3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।
   नहीं

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

   सहमति नही है। तथा समझाने पर भी अप्रार्थीगण किसी तरह का समझौता नही चाहते है।

5. सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

   लघुत्तम रास्ता ग्राम मोतीखेडा से निम्बाहेडा का ग्रामीण रास्ता से आ0 नं0 366 तक जाने हेतु कुल 0.0432 है0 बनता है।

   जिसकी डीएलसी दर 430353 × 0.0432 = 18592 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 37184/– रूपये बनते है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 366 रकबा 0.42 हैक्टर स्थित है प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 370, व 371 से रास्ता चाह रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिये सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में आराजी संख्या 370 किस्म बारानी 2 व आराजी संख्या 371 किस्म बारानी 2 दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क :– अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–'ख' कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप–खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप–खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

I. यह आवश्यकता आत्यतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो उचित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:25:00 IST
Reason: Certified

(2) जहाँ उप–धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।'

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर निर्णय दिया जाता है कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 366 रकबा 0.42 हैक्टर स्थित है में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आ.न. 370 व 371 है। जिसका रास्ते हेतु रकबा 0.0432 है0 जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 संलग्न है के अनुसार रास्ता कायम किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार कुल रकबा 432 वर्गमीटर की डीएलसी दर 430353 × 0.0432 = 18592 रूपये है जिसका दुगुना करने पर 37184/– रूपये अक्षरे सैंतीस हजार एक सौ चौरासी रूपये राशि जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 14 को देय है को जरिये प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 14 के नाम हक हिस्से अनुसार डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशी अदायगी हेतु 30 योम की अवधि का नोटिस जारी करे यदि उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधी के भितर–भितर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफट तहसीलदार कपासन से प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता राजस्व अभिलेख व हाल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:25:00 IST
Reason: SelfAttested